न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 107/2015

अपीलान्ट **बनाम** **रेस्पोडेन्ट :–**

1. नारायणलाल
2. घीसाराम पिसरान मगारामजी जाति लौहार निवासीगण शिवपुरा तहसील सोजत जिला पाली।

सरकार जरिये तहसीलदार सोजत

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री महेश ओझा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 24.06.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 96/2013 में पारित निर्णय दिनांक 14.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर सरहद शिवपुरा तहसील सोजत में स्थित पुराना खसरा नंबर 170 नये खसरा नंबर 708 रकबा 2.55 हैक्टेयर की भूमि की खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। जिसका आधार यह था कि सेटलमेंट से पूर्व उक्त आराजी पर अपीलांटगण से पूर्व स्व. मगाराम जी की खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी थी किन्तु सेटलमेंट दौरान भू प्रबंध अधिकारी ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के उक्त आराजी को सिवाय चक दर्ज कर दी, जबकि अपीलांटगण के पूर्वजो को उक्त आराजीयात पर कब्जा काश्त था। इसके अतिरिक्त गत खसरा नंबर 170/2 रकबा 6 बीघा जिसके नये खसरा नंबर 712 कायम हुए है। अपीलांटगण के पूर्वज मगारामजी तथा केसाराम की संयुक्त खातेदारी की थी। केसाराम ने अपना हिस्सा दिनांक 06.12.1972 को

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

घीसाराम अपीलांट को जरिये बेचान रजिस्ट्री हस्तान्तरित कर दी जिसका म्यूटेशन नंबर 389 दिनांक 06.06.1973 को स्वीकृत होकर खातेदारी में दर्ज हो गया। नये खसरा नंबर 708 व 712 तथ कुआ एवं सडा की तमाम भूमि लगते हुए एक ही चक में है जिसके चारों ओर मेडबंदी है। अपीलांट उक्त आराजी पर बहैसियत खातेदार काश्तकार है। दिनांक 05.02.2013 को ग्राम शिवपुरा में प्रशासन गांवो के संग कैम्प में सर्वप्रथम नारायणलाल को पुराना खसरा नंबर 170 एवं नया 708 सिवाय चक दर्ज होने की जानकारी पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी अधिकार, रेकर्ड दुरूस्ती, तथा निषेधाज्ञा का वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये लोक अदालत कैम्प में अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज कर दिया। सेटलमेंट कार्यवाही के दौरान पुराने खसरा नंबर 170 के नये नंबर 708 को बिना कब्जा सिवायचक दर्ज करने के संबध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान की वास्तविक स्थिति की जांच रिर्पोट रेकर्ड पर नहीं ली जबकि उक्त भूमि आज भी अपीलांटगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 712 में मिली हुई एक ही चक में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से यह प्रमाणित है कि खसरा नंबर 708 को सिवायचक दर्ज कर देने से उसकी खातेदारी भूमि क्षेत्रफल कम हुआ है। एवं उक्त भूमि खातेदारी से सिवायचक में मर्ज हुई है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त दस्तावेजो को गौर किये बिना ही लोक अदालत कैम्प में जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट का वाद खारिज किया गया, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलांट की स्वीकार की जाकर पत्रावली रिमांड फरमाई जावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांटगण का कब्जा काश्त होता तो सेटलमेंट कार्यवाही के दौरान उज्र प्रस्तुत करते, किन्तु अपीलांटगण द्वारा कोई उज्र प्रस्तुत नहीं किया। जिससे यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलांटगण को कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात् के आधार पर जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावलनी पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलाण्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर सरहद शिवपुरा तहसील सोजत में स्थित पुराना

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

खसरा नंबर 170 नये खसरा नंबर 708 रकबा 2.55 हैक्टेयर की भूमि की खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। जिसका आधार यह था कि सेटलमेंट से पूर्व उक्त आराजी पर अपीलांटगण से पूर्व स्व. मगाराम जी की खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी थी किन्तु सेटलमेंट दौरान भू प्रबंध अधिकारी ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के उक्त आराजी को सिवाय चक दर्ज कर दी, जबकि अपीलांटगण के पूर्वजो को उक्त आराजीयात पर कब्जा काश्त था। इसके अतिरिक्त गत खसरा नंबर 170/2 रकबा 6 बीघा जिसके नये खसरा नंबर 712 कायम हुए है। अपीलांटगण के पूर्वज मगारामजी तथा केसाराम की संयुक्त खातेदारी की थी। केसाराम ने अपना हिस्सा दिनांक 06.12.1972 को घीसाराम अपीलांट को जरिये बेचान रजिस्ट्री हस्तान्तरित कर दी जिसका म्यूटेशन नंबर 389 दिनांक 06.06.1973 को स्वीकृत होकर खातेदारी में दर्ज हो गया। नये खसरा नंबर 708 व 712 तथ कुआ एवं सडा की तमाम भूमि लगते हुए एक ही चक में है जिसके चारों ओर मेडबंदी है। अपीलांट उक्त आराजी पर बहैसियत खातेदार काश्तकार है। दिनांक 05.02.2013 को ग्राम शिवपुरा में प्रशासन गांवो के संग कैम्प में सर्वप्रथम नारायणलाल को पुराना खसरा नंबर 170 एवं नया 708 सिवाय चक दर्ज होने की जानकारी पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी अधिकार, रेकर्ड दुरूस्ती, तथा निषेधाज्ञा का वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दौराने सेटलमेंट अपीलांटगण खातेदारी भूमि किस खसरा नंबर में मर्ज हुई, इस संबध में कोई पुख्ता दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटगण ने प्रस्तुत नहीं किये। जिससे पर्याप्त सबूतो के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाते है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 96/2013 में पारित निर्णय दिनांक 14.07.2015 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.06.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली